राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(महात्मा गांधी नरेगा, अनुभाग–3)

क्रमांकः एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मार्गदर्शन/61495/पार्ट–1/2017 जयपुर, दिनांक 07 DEC 2021

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, श्री गंगानगर।

विषय :– जिला परिषद एंव पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव–2021 हेतु आदर्श आचार संहिता के अन्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्य स्वीकृति एवं सम्पादन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने बाबत।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 4125 दिनांक 26.11.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में राज्य निर्वाचन आयोग, राज. द्वारा जारी प्रेस नोट में जिला परिषद एवं पंचायत समिति आम चुनाव–2021 की घोषणा के कारण जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता के दौरान नए कार्य स्वीकृत कर प्रारंभ करवाए जा सकते है अथवा नहीं के संबंध में मार्गदर्शन चाहा है।

उक्त के संबंध में पूर्व में जारी विभागीय पत्र दिनांक 07.03.2014 (संलग्न) द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन के परिपेक्ष्य में दिशा–निर्देश जारी किये गये है। तदानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चत करावे। ताकि श्रम नियोजन पर विपरित प्रभाव न पडे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(के.के. शर्मा)
परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि :–
1. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस, शासन सचिवालय जयपुर।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
3. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3 मनरेगा)

क्रमांक एफ 1(16)ग्रावि / नरेगा / वाकायो 13–14 / 2012 जयपुर, दिनांक 07 MAR 2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषयः– लोकसभा चुनाव 2014 के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में ।

संदर्भः– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक L–12031 / 1 / 2014–MGNREGA-IV दिनांक 20.02.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि लोकसभा चुनाव 2014 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ चुकी है। आदर्श आचार संहिता के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 20.02.2014 (प्रति संलग्न) के माध्यम से प्राप्त भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन के परिप्रेक्ष्य निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे :–

- जॉब कार्ड धारी परिवारों द्वारा कार्य की मांग किये जाने के उपरांत महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के प्रावधानानुरूप उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जावे।
- प्रगतिरत कार्यो पर रोजगार उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं होने की स्थिति में ही सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्य योजना (Shelf of Project) में सम्मिलित कार्य ही जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित करते हुए प्रारंभ किये जा सकते है। इस संबंध में यह सुनिश्चित किया जावे कि रोजगार की मांग के अनुरूप प्रगतिरत कार्य उपलब्ध होने की स्थिति में नये कार्य प्रारंभ नहीं किये जावे। नये कार्य प्रारंभ किये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को यह प्रमाण पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा कि "प्रगतिरत कार्यो पर जॉब कार्डधारी परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की स्थिति नहीं होने के कारण ही नया कार्य प्रारंभ किया गया है"।
- जॉब कार्ड हेतु आवेदन किये जाने पर महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 तथा समय–समय पर जारी तत्संबंधी दिशा–निर्देशों के प्रावधानुसार जॉब कार्ड जारी किये जा सकते है।

Scanned with CamScanner

- ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित श्रम बजट के अनुरूप प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति बिना किसी प्रचार–प्रसार के जारी की जा सकती है।
- कार्य के लिए आवश्यक सामग्री का कय (Procurement) आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जा सकेगा।

उक्त दिशा–निर्देश ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त संदर्भित पत्र के कम में जारी किये गये है। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में पत्र के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को देखे अथवा इस कार्यालय को संपर्क करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(नवीन जैन)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/जोधपुर/बाडमेर।
3. रक्षित पत्रावली।

7/3/19

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस

Scanned with CamScanner

L-12031/1/2014-MGNREGA-IV

MOST IMPORTANT

Government of India
Ministry of Rural Development
(Mahatma Gandhi NREGA Division)

D. No. 1322 RD&PR/201
DATE 24 FEB

Krishi Bhawan, New Delhi 110 001
Dated the 20[th] February, 2014

To

Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary/Commissioner
In charge of MGNREGA
Government of Assam, Jammu & Kashmir, Karnataka, Meghalaya, Rajasthan and Tripura,

Subject: Model Code of Conduct to be adhered during the General Election to the Lok Sabha 2014 – relating to issues in the implementation of MGNREGS - Communication from the Election Commission of India- reg.

Sir/Madam,

Please find enclosed a copy of the D.O. letter No. 437/6/CG/2014/495 dated 3[rd] February, 2014 from the Chief Election Commissioner of India in the context of Model Code of Conduct which will come into force once the commission announces the schedule for the General Election to the Lok Sabha for information and appropriate action at your end.

Yours faithfully,

(Prasanna V. Salian)
Assistant Commissioner (MGNREGA)
Tel: 011-23380850
Fax: 011-23382860
Email: pv.salian@nic.in

XEN (r)
All DPC & ADIC
3.3.14
D (EGS)
25/2/14
SRD / Comm EGS
27/2/14
Comm EGS

Scanned with CamScanner